प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 23.09.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त नईम पुत्र अली हुसैन निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 23.09.2025 को डड़वा नहर पुल के पास से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नईम पुत्र अली हुसैन निवासी डिहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 863/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, का0 शिवम यादव, का0 निलेश यादव, का0 सत्यप्रकाश, का0 जयकिशन गोंड।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** गिरफ्तार 02 वारण्टी नाम पता 01.अशरफ खान पुत्र याकूब खान निवासी परदेसवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. सच्चिदानन्द पुत्र निरंकारलाल साकिन एग्रो कालोनी कैलाश नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, का० चन्द्रशेखर यादव, का० बलराम यादव, का० विशाल सिंह।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी नाम पता दुर्बल ढाडी पुत्र झिन्नू ढाडी निवासी मडहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री योगेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मीरगंज से कालर द्वारा पिक-अप एवं ट्रैक्टर में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.ओम दीक्षित पुत्र विद्या दीक्षित 02.ज्ञान वाजपेयी पुत्र पवन कुमार निवासीगण ग्राम कान्हेपुर जनपद बाराबंकी) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु०आ० गौतम कुमार, आरक्षी बबलू कुमार यादव, आ०चा0 अम्बरीश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 वाहनों से 2,12,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 146 वाहनों से 2,12,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने पर की गयी कार्यवाही, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्र भूषण सिंह*** के नेतृत्व में थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की गयी।

विदित हो कि आज दिनांक 23.09.2025 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत लोहरौली कस्बा में डीजे संचालक संतोष पांडेय पुत्र जगदीश पांडेय निवासी ग्राम रसूलपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को बिना अनुमति लिए असमय निर्धारित ध्वनि से काफी अधिक तेज ध्वनि में अपना डीजे बजा रहे थे। जिससे मानव जीवन संकटमय व वायुमण्डल मे स्वास्थ के लिये दूषित वातावरण उत्पन्न हो रहा था। डीजे मालिक को समझाये जाने पर डीजे मालिक द्वारा दिये गये निर्देशो का अनदेखा करते हुए अपने डीजे को अत्यधिक तेज ध्वनि से बजा रहे थे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन नहीं कर रहे थे। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी- बरामदगी 03 अदद एम्प्लीफायर, 08 अदद साउण्ड बाक्स, 02 अदद साउण्ड मिक्सर, 01 अदद वोल्टेज स्टेब्लाइजर, 01 अदद इलेक्ट्रानिक फाग मशीन, 02 अदद शार्पी लाइट बाक्स।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, का0 गुड्डू यादव, का0 आनंद पटेल, हो०गा० फूलचंद्र।

साइबर क्राइम थाना संतकबीरनगर द्वारा 26 पीड़ित व्यक्तियो के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्य़म से हड़पे गये 1467871/- रुपया को त्वरित कार्यवाही करते हुए कराया गया वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम व साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही कराते हुये साइबर क्राइम थाना जनपद संतकबीरनगर द्वारा 26 व्यक्तियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्य़म से निकाले गये **1467871**/- रुपया वापस कराया गया है। पीडितों को पैसा मिलने पर उच्चाधिकारियों व साइबर क्राइम थाना जनपद संतकबीरनगर की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

" जागरुक रहिये सुरक्षित रहिये "

साइबर क्राइम से कैसे बचे-

01–साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते है और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते है। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।

02–ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्सटैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नही करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।

03–अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।

04–वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https ("s" से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बंद ताले के निशान को भी देखें।

05–ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।

06–साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।

07-सिम ब्लॉक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।

08-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताए हुए नियमों का पालन न करें।

09-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।

10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम थाना मो0नं0 7839873039 व हेल्पलाईन नं0-1930 पर सम्पर्क करें।

साइबर फ्रॉड के माध्य़म से हड़पे गये रुपये बरामद कराने वाली पुलिस टीम-

साइबर क्राइम थाना- प्र0नि0 श्री जय प्रकाश चौबे, उ0नि0 श्री रमेश यादव, हे0का0 राजेश यादव, हे0का0 हिंदे आजाद, का0 राम प्रवेश मद्धेशिया, का0 राजकुमार यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार, का0 सौरभ यादव, म0आ0 अमृता सिंह, म0आ0 हिना गोंड।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 23.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 358/2008 धारा-4/25 आयुष अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त शंम्भू केवट पुत्र रामदुलारे केवट निवासी चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधाराण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 12000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 03 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 12000 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 18.05.2000 को वादी श्री प्रहलाद पुत्र बलिराम द्वारा थाना मेंहदावल पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 100/2000 धारा 323/325/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. अमरनाथ, 02-उदराज, 03- शेषनाथ पुत्रगण बलिराम यादव निवासीगण भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण अमरनाथ, उदयराज व शेषनाथ को मुकदमा उपरोक्त में धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 500-500 सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 01-01 माह का सादा कारावास, धारा 504 भादवि के अपराध के लिए 500-500 सौ रुपया अर्थदण्ड, जुर्माना अदा न करने पर 01-01 माह का सादा कारावास, धारा 506 भादवि के अपराध के लिए 1000-1000 हजार रुपया अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का सादा कारावास, धारा 325 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000-2000 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का सादा कारावास भुगतेंगे।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास 4000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 23.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 07.01.2010 को वादी श्री गोली प्रसाद पुत्र स्व0 जयश्री द्वारा थाना बखिरा पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 07/2010 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त 01. त्रिलोकी पुत्र ठाकुर सा0 भेड़ौरा पिकौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त त्रिलोकी को मुकदमा उपरोक्त में धारा 323/504/506 भादवि के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का कारावास भुगतना होगा।